# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 40068—7734720 / 2a     दिनांक—यथाहस्ताक्षर

## विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2025—26

### 1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकेण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | योजना का नाम | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकेण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता। |
| 2. | योजना का उद्देश्य | राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत प्रतिभावान जनजाति छात्रों कों जो नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत है उन्हें अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। |
| 3. | आवेदन की प्रक्रिया | ➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।<br>➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र एवं 11वीं कक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।<br>➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।<br>➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।<br>➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है —<br>○ विद्यार्थी का पता<br>○ विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या<br>○ विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय<br>○ गत वर्ष की परीक्षा के पूर्णांक एवं विद्यार्थी के प्राप्तांक ।<br>➢ बैंक इनफार्मेशन।<br>➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्च्यात अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।<br>➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें।<br>➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।<br>➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष **REJECT** बटन पर लेफ्ट क्लिक करके **REJECTION** के कारण का चयन करें।<br>➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |

RajKaj Ref No.:
16679675
eSign DSC

| | | |
|---|---|---|
| 4 | देय लाभ | बोर्ड कक्षा में जो छात्र प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत) से उत्तीर्ण होते है उन्हें 350/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/– रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा। |
| 5. | पात्रता | • विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।<br>• छात्र के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गैप) नही होना चाहिए।<br>• छात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।<br>• छात्र के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता न हो।<br>• राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों को इस योजना में लाभ देय नही होगा।<br>• छात्र राजकीय विद्यालय में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।<br>• 10 वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को 11 वी कक्षा एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत रहकर 11 वीं कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तो कक्षा 12 वीं में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी। |
| 6. | आवश्यक दस्तावेज | 1. जाति प्रमाणपत्र।<br>2. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।<br>3. माता–पिता/पति/अभिभावक /संरक्षक का आयकर दाता नही होने बाबत स्वंय का आय घोषणा पत्र।<br>4. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।<br>5. कक्षा 10 वीं की अंकतालिका। |
| 7. | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025** |

**(सीताराम जाट)**
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.:
16679675
eSign DSC

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

## विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

**जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | योजना का नाम | जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।_ |
| 2. | योजना का उद्देश्य | राजस्थान के राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा में नियमित अध्ययन के लिए एवं अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। |
| 3. | आवेदन की प्रक्रिया | ➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।<br>➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 11 वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।<br>➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।<br>➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।<br>➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है –<br>○ विद्यार्थी का पता<br>○ विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या<br>○ विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय<br>➢ बैंक इनफार्मेशन।<br>➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्च्यात अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।<br>➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें।<br>➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।<br>➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।<br>➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |
| 4 | देय लाभ | जनजाति छात्राएं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 350/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/– रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया |

| | | |
|---|---|---|
| | | जायेगा। |
| 5. | पात्रता | • छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।<br>• छात्रा राजकीय विद्यालय में 11वीं व 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।<br>• छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित हो।<br>• छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।<br>• जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नही होगा। |
| 6. | आवश्यक दस्तावेज | 1. जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।<br>2. माता–पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकर दाता नही होने बाबत स्वंय का आय घोषणा पत्र।<br>3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र। |
| 7 | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025** |

**(सीताराम जाट)**
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

.

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025—26 / 40068—7734720 / 2a    दिनांक—यथाहस्ताक्षर

## विस्तृत दिशा—निर्देश वर्ष 2025—26

**प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | योजना का नाम एवं क्षेत्र | बांरा जिले में निवासरत प्रतिभावान सहरिया जनजाति छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति (बोर्ड परीक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर) |
| **2** | योजना का उद्‌देश्य | सहरिया जनजाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहित करना जिससे छात्रों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़े एवं वह अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन करें। |
| **3** | योजना की परिभाषा | उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन के लिए सहरिया जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं (दसवीं एवं बारहवीं ) में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो तथा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। |
| **4** | आवेदन की प्रक्रिया | ➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।<br>➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्र जो गत वर्ष कक्षा 10 वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो तथा गत वर्ष कक्षा 12 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सहरीया छात्रों का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।<br>➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।<br>➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।<br>➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है —<br>○ विद्यार्थी का पता<br>○ विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या<br>○ विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय<br>➢ बैंक इनफार्मेशन।<br>➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।<br>➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें।<br>➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।<br>➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |
| **5** | देय लाभ | प्रति छात्र को 6000/- रू इस प्रकार कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किसी एक वर्ष में कुल राशि रूपयें 6000/-रू. प्रोत्साहन राशि के रूप मे देना। |
| 6 | पात्रता | • छात्र राजस्थान के बारां जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए।<br>• छात्र राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिये।<br>• छात्र के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।<br>• जो छात्र सरकार द्वारा संचालित आवासिय विद्यालय/छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे है उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।<br>• आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड होने चाहिए।<br>• राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। |
| **7** | आवश्यक दस्तावेज | 1. छात्र के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत् निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र समक्ष स्तर से प्रमाणित हो।<br>2. छात्र का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।<br>3. छात्र की बोर्ड परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।<br>4. जाति प्रमाणपत्र।<br>5. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।<br>6. मूल निवासी प्रमाण-पत्र। |
| **8.** | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025** |

**(सीताराम जाट)**
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025–26/40068–7734720/2a दिनांक–यथाहस्ताक्षर

## विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

**सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | योजना का नाम एवं क्षेत्र | बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5 तक) |
| **2** | योजना का उद्देश्य | सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। उन सहरिया परिवारों के छात्र/छात्राओं को स्टेशनरी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे कि उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। |
| **3** | परिभाषा | कक्षा 1 से 5 तक के जनजाति सहरिया छात्र–छात्राओं को स्टेशनरी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
| **4** | आवेदन की प्रक्रिया | ➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।<br>➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 01 से 5 वीं में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्र/छात्राऐं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।<br>➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।<br>➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।<br>➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है –<br>1. विद्यार्थी का पता<br>2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या<br>3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय<br>➢ बैंक इनफार्मेशन।<br>➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।<br>➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें।<br>➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।<br>➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें। |

| | | |
|---|---|---|
| | | ➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |
| **5** | देय लाभ | बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 1 से 5 तक 1000 रू. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष। |
| **6** | पात्रता | 1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो।<br>2. बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो।<br>3. छात्र/छात्रा के माता–पिता /अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो। |
| **7** | आवश्यक दस्तावेज | 1. जाति प्रमाणपत्र।<br>2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।<br>3. आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।<br>4 नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र |
| **8.** | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025** |

**(सीताराम जाट)**
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2025–26 / 40068–7734720 / 2a   दिनांक–यथाहस्ताक्षर

## विस्तृत दिशा–निर्देश वर्ष 2025–26

**सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | योजना का नाम एवं क्षेत्र | बांरा जिले के सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12 तक) |
| **2** | योजना का उद्देश्य | सहरिया जनजाति के ऐसे परिवार जो पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सहरिया छात्र / छात्राएं जो घर से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत है उनको स्टेशनरी एवं पौशाक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनके परिवार में उनकी पढ़ाई का खर्चा ना बढ़े एवं उनकी पढ़ाई से परिवार पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। |
| **3** | परिभाषा | ऐसे सहरिया आदिम जनजाति के छात्र / छात्राएं जो कक्षा 6 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो जिन्हें छात्रावास में निवास करने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता हो। |
| **4** | आवेदन की प्रक्रिया | ➢ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।<br>➢ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लोगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत सहरिया जनजाति के छात्रों व छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होंगा।<br>➢ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।<br>➢ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।<br>➢ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैन्युअल की जानी है –<br>1. विद्यार्थी का पता<br>2. विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या<br>3. विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय<br>➢ बैंक इनफार्मेशन।<br>➢ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात् अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।<br>➢ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेगें। |

RajKaj Ref No.:
16679675

eSign DSC

| | | |
|---|---|---|
| | | ➢ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।<br>➢ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।<br>➢ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |
| **5** | देय लाभ | बारां जिले के सहरिया छात्र/छात्राएं को कक्षा 6 से 12 वीं तक 2500 रू. प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष। |
| **6** | पात्रता | 1. ऐसे सहरिया छात्र/छात्राएं जो बारां जिले के किसी भी राजकीय विद्यालय में नियमित प्रवेश ले लिया हो/अध्ययनरत हो।<br>2. वह बांरा जिले की मूल निवासी हो तथा सहरिया परिवार से हो।<br>3. विभागीय किसी भी आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावास में निवासरत ना हो।<br>4. छात्र/छात्रा के माता–पिता/अभिभावक/संरक्षक आयकर दाता ना हो। |
| **7** | आवश्यक दस्तावेज | 1. जाति प्रमाणपत्र।<br>2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।<br>3.आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड।<br>4. बैंक पास बुक।<br>5..नियमति अध्ययनरत प्रमाण पत्र |
| **8** | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि **30.09.2025** |

**(सीताराम जाट)**
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

RajKaj Ref No.: 16679675
eSign DSC

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :28-07-2025 05:24:37